

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, दिनांक 28/3/95

सं० हिन्दी - 95/रा०भा० 1/12/1

अधिसूचना

राजभाषा नियम, 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उप नियम (2) और (4) के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड उत्तर रेल के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहां कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :-

उत्तर रेल (तखनऊ मण्डल)

1. रेल स्टेशन, अमेठी ।
2. रेल स्टेशन, हरचन्दपुर ।
3. रेल स्टेशन, बछरावां ।
4. सहायक अभियंता कार्यालय, जौनपुर ।
5. रेल स्टेशन, अकबरपुर ।
6. रेल स्टेशन, गोसाईगंज ।
7. रेल स्टेशन, दरयाबाद ।
8. रेल स्टेशन, जफराबाद जंक्शन ।

16

ह०/-
(एस०ए०ए० जेदी)
सचिव, रेलवे बोर्ड ।

(भारत के राजपत्र के भाग - 2, खंड 3 के उप खंड (2) में प्रकाशनार्थ)

ह०/-
(डॉ० महेश चंद्र गुप्त)
निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड ।

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, सिंग रोड,
नयी दिल्ली ।

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,
बडौदा हाउस,
नयी दिल्ली ।
दिनांक 11/12/95

सं० 843-ई/147/रा०मा०अ०/ई-7

रेल प्रबन्धक, दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ,
इलाहाबाद, मुरादाबाद, जोधपुर व बीकानेर ।

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, अमृतसर, आलमबाग - लखनऊ, बीकानेर और जोधपुर ।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, जगाधरी कारखाना और चारबाग - लखनऊ ।

उप मुख्य अभियंता पुल कारखाना चारबाग - लखनऊ और जलंधर ।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सिगनल वर्कशॉप, गाजियाबाद ।

निर्माण प्रबन्धक, कालका ।

उप भण्डार नियंत्रक, शकूरबस्ती, जोधपुर, आलमबाग - लखनऊ ।

मुख्य अधीक्षक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), शकूरबस्ती ।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), कझीरी गेट, दिल्ली ।

मुख्य लेखा अधिकारी (या०ले०), दिल्ली किशन गंज ।

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक (दावा), वाराणसी ।

मुख्य अस्पताल अधीक्षक, केन्द्रीय अस्पताल, नयी दिल्ली ।

प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, चन्दौसी ।

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, स्टेट एण्ट्री रोड, नयी दिल्ली ।

उप मुख्य इंजीनियर (कंक्रीट स्लीपर प्लांट) सूबेदारगंज, इलाहाबाद ।

सभी विभागाध्यक्ष, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बडौदा हाउस, नयी दिल्ली ।

विषय :- अधिसूचना ।

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के 28/3/95 के पत्र सं० हिन्दी - 95/

रा०मा० - 1/12/1 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है ।

संलग्न : यथोक्त ।

(14 मार्च 8/95)
कृते महाप्रबन्धक (राजमार्ग)